रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 1971/चैत्र 16, 1893

No. 255] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 1971/CHAITRA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 1971

S.O. 1361.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), read with sub-rule (2) of rule 3 of the Dock Workers (Advisory Committee) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri Vishandas Vazirani as a member of the Dock Workers' Advisory Committee *vice* Shri N. C. Mehta and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 56, dated the 23rd December, 1968, namely:—

In the said notification, under the heading "Members representing the employers of dock workers and shipping companies", in item (6) for the words "N. C. Mehta," the words "Vishandas Vazirani" shall be substituted.

[No. 65/1/69-Fac. II/P&D.]

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1971

का० आ० 1561.—गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5 की उप-धारा (2) और गोदी श्रमिक (सलाहकार समिति) नियमावली, 1962 के नियम 3 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री त्रिणनदास वजीरानी को श्री एन० सी० मेहता के स्थान पर गोदी श्रमिक सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 56 तारीख 23 दिसम्बर, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना में, "गोदी श्रमिक और जहाजरानी कम्पनियों के नियोजकों के प्रतिनिधि सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत मद (6) में "एन० सी० मेहता" शब्दों के लिये "त्रिणनदास वजीरानी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० 65/1/69-फैक 2/पी० एन्ड डी०]

टी० एम० शंकरन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971